उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-106/2015/915/71-1-2015-जी-202/2014
लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

डा0 अर्चिका, सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, आगरा का चयन किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सहायक आचार्य, पीडियाट्रिक्स सर्जरी के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उन्हें उक्त पद से कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-103/2015/693/71-1-2015-जी-202/2014, दिनॉक 28-04-2015 निर्गत किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 28-04-2015 में त्रुटिवश डा0 अर्चिका का पदनाम प्रवक्ता, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, आगरा तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभाग का नाम पीडियाट्रिक्स का उल्लेख हो गया है, जबकि डा0 अर्चिका का पदनाम सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, आगरा है एवं उनके द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सहायक आचार्य, पीडियाट्रिक्स सर्जरी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया था।

2- इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को संशोधित करते हुए डा0 अर्चिका का पदनाम सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, आगरा तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभाग का नाम पीडियाट्रिक्स सर्जरी पढ़ा जाए।"

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-103/2015/693/71-1-2015-जी-202/2014, दिनॉक 28-04-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 28-04-2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

संख्या:- 106/2015/915(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा/लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
7- संबंधित चिकित्सा शिक्षक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।